तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 46/2025 बउनवान श्रीमती सावित्री बनाम ओमप्रकाश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 16.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन।
2. रेस्पों. संख्या 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाश कुमार।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 40, 88, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मौजा हड़वा, तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 1459 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 1462 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 147 रकबा 25.17 बीघा भूमि प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में न्यायहित में दिनांक 19.03.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए हस्तगत आराज़ी का राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया था। उक्त आदेश के उपरान्त भी रेस्पों. द्वारा हस्तगत वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा होने से हस्तगत अपील हाजा न्यायालय में पेश की गई जिस पर न्यायहित में अपीलांट के पक्ष में मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था जो आज दिनांक तक प्रभाव में है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी स्वं चान्दाराम की पैतृक खातेदारी की आराजी है। अपीलांट चान्दाराम की पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी में विधिक वारिसान के रूप में जन्म से ही अधिकार निहित है। अपीलांट के पिता का फौतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम अंकित नहीं करते हुए दुर्भावना पूर्वक हमीराराम ने अकेले अपने नाम का नामान्तरकरण पारित करवा लिया है, जो विधि संगत नहीं है। उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में अपीलांट विधिक वारिसान होने से हक–हिस्सा जन्म से ही निहित है। हस्तगत आराजी पर अपीलांट का कब्जा–काश्त लगातार चला आ रहा है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 की ओर से वर्तमान में बिना अपीलांट को हक–हिस्सा दिये ही सम्पूर्ण आराजी को बेचान करने पर आमादा है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहा तो अपीलांट के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन निर्णय की अपीलाधीन आराज़ी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1- 2022-23(SUPP.)RRT 699
2- DNJ (RAJ.)2006 (1) 421
3- RRD PAGE NO.-744
4- RLW 2014(2)1561
5- RRT 2011(2)1407

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगा। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पों. संख्या 1 से 5 का वर्तमान में कोई कब्जा–काश्त नहीं है। हस्तगत प्रकरण की आराजी रेस्पों. संख्या 06 द्वारा जरिये सद्भाविक क्रेता के खरीद की गई है। जिससे रेस्पों. संख्या 6 इसका रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खोतेदार को निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा तकनीकी एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड हिस्सा कब्जा होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का सस्मान अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। रेस्पों. संख्या 6 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का जरिये क्रेता रेकार्डेड खातेदार है, रेकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

16/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर